



कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक

११ /

12-1 (1)

दिनांक, देहरादून, जुलाई 19

2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर वन कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में कुनारा-पासा नहर निर्माण हेतु वांछित वन भूमि 0.69 हे० वन भूमि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

सन्दर्भ:-

FP / UK / IRRIG / 7292 / 2014

महोदय,

आपके स्तर से प्राप्त ई०डी०एस० क्वेरी दिनांक 6-6-2016 का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी टौन्स के द्वारा अपने पत्रांक 38 / 12-1 दिनांक 6-7-2016 से निराकरण किया गया है ।

आपत्ति	निस्तारण
Tree density entered in serial no. 2 of online Part II may be reviewed.	प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स के द्वारा Part II में हरियाली का घनत्व प्रचलित प्रबन्ध योजना के अनुसार 0.8 घनत्व दर्शाया गया है ।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

संख्या ११ (1) / 12-1 (1) दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स को उनके पत्रांक 38 / 12-1 दिनांक 6-7-2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(आर०के०मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

कार्यालय, उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)

E-mail-dfo_tons@yahoo.co.in. Phone/Fax-01373-223328

पत्रांक 38 / 12-1

पुरोला, दिनांक, 6/07/2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में कुनारा पासा नहर निर्माण हेतु वांछित वन भूमि 0.69 है0 वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 3178/12-1 (1) दिनांक 28.06.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून के दिनांक 06.06.2016 के निर्देशों के क्रम में जिन कक्षों से होकर नहर जा रही है उन कक्षों जैसे पासा 8 का घनत्व 0.8 तथा पासा 9 का घनत्व 0.8 है0 है उपरोक्त दोनो कक्ष चीड कार्यवृत्त के क्षेत्र है। इन दोनों कक्षों का औसत घनत्व 0.8 लिया गया है। जिसका विवरण इस वन प्रभाग की अवसाई कार्ययोजना में वर्णित है जिसका विवरण विगत प्रबन्ध योजना के पृष्ठ सं0 281 पर अंकित है, अंग्रेजी में भरा जाने वाला भाग 2 प्रपत्र में हरियाली के घनत्व को पुनः दर्शाया गया है।

2. नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि आरक्षित वन पासा क0स0 8 व पासा क0स0 9 होते हुये निकलेगी इसलिये वन सीमा से प्रस्तावित वन भूमि की दूरी 0.5 किमी0 है।

अतः उपरोक्तानुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में दर्ज अपतियों का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है। प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
टौंस वन प्रभाग, पुरोला।

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-0582/2015

1. Location of the project/Scheme : Uttarakhand

- (i) State / Union Territory : Uttarakhand
(ii) District : Uttarkashi
(iii) Forest Division : Tons,Purola
(iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 0.69
(v) Category : Irrigation

2. Legal status of forest land proposed for diversion :

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Tons,Purola	0.69	Reserved Forest

Division 1. : Tons,Purola

3. District wise area to be diverted in the division :

S. No.	District	Area(ha.)
1	Uttarkashi	0.69

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(ii) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	0.69	0.8	Eco 5

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
NIL							

(iii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL :

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
NIL							

(iv) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL-2 meter :

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
NIL							

(v) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL-4 meter :

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
NIL							

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : Chir Working Circle

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : According to geologist report submitted by the user agency

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 0.5

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :

(i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : Not Applicable

(ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No

(iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

(iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No

(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :

(i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :


(i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed :

(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : No Data

13. Details of compensatory afforestation scheme :


उप वन संरक्षक
टैन्स वन प्रभाग,
पुरोला

प्रेषक:

आधिशामी अभिपत्ता
सिंचाई खात
पुरेला

सेवा में,

मोडल अधिकारी वन संरक्षक
वन उपयोग वृत्त
इंदिरानगर फोरेस्ट कालोनी
देहरादून

पतांक: 27/2 खिखड/एल-1 (412/सि) दिनांक: फरवरी 27/2016

विषय: कुनारा-पासा नहर का वन भूमि हातांतरण प्रकरण।

महोदय,

जनपद उत्तरकाशी के विकास खात मोदी में कुनारा पासा
सेक्टरल कम्योनेट प्लान की नहर के निर्माण हेतु 0.690 हे० वन भूमि
हातांतरण का प्रकरण, उप वन संरक्षक टी० वन प्रभाग छपेला के
तत्वावर उपपत्र 2 प्रतियों में आपको आग्रिम आवश्यक कार्रवाई
हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक: - उपरोक्तानुसार
2 प्रतियां

अक्षय
Kef
(आर०२०५५)
आधिशामी अभिपत्ता

पतांक: 27/2 खिखड/एल-1 (412/सि) तृतीयोत्तर

प्रति लिखी संलग्नक अभिपत्ता तृतीय सिंचाई उपखण्ड
मोदी की अके पतांक-27/2 दि० 26/02/2016 के क्रम में तयतावत है।

[Handwritten signature]

27/2/16
सम्प्रक्षक

अक्षय
Kef
(आर०२०५५)
आधिशामी अभिपत्ता

भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
इंदिरा नगर, फोरेस्ट कालोनी
वन विभाग, (उत्तराखण्ड)
देहरादून